न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 16/328

राधेश्याम आत्मज अमर लाल जाति कलाल निवासी शिव मंदिर के पास बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. गोरधन आत्मज अमर लाल जाति कलाल निवासी बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. घनश्याम आत्मज अमर लाल जाति कलाल निवासी द्वारा गोपाल इलेक्ट्रिकल्स रामधन चौराहा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बाबू लाल योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अरूण कुमार जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 गोरधन ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम बमोरी तहसील दीगोद की आराजी कुल किता 09 की कुल रकबा 5.74 हैक्टर भूमि में अपना 1/3 हिस्सा बताते हुए उक्तानुसार विभाजन की डिक्री पारित करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 02.06.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 2 राधेश्याम ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी विभाजन दिनांक 25.09.2005 का स्टाम्प पर लिखित में हो गया था जिसके अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उसके अनुसार ही विभाजन किये जाने का निर्णय व डिक्री जारी की जानी चाहिए थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें तीन भाई थे जिसमें राधेश्याम मुख्य व्यक्ति थे श्री घनश्या मजी इंजीनियर थे । राधेश्याम ने ही उन्हें पढाया लिखाया था । प्रस्तुत प्रकरण में घनश्याम को साढे 04 बीघा भूमि दी थी क्योंकि उसके सारे बच्चे नोकरी में हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत की है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री भी पारित कर दी गई है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अंतिम डिक्री की अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी । प्रस्तुत प्रकरण में सभी पक्षकारान को उनके हिस्सा अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है और प्राथमिक डिक्री के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी गई है । प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की थी जिसमें उनके राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है उसके पश्चात् पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री भी पारित की जा चुकी है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन की अंतिम डिक्री भी पारित कर दी है परन्तु अपीलान्ट ने केवल प्राथमिक डिक्री की अपील ही प्रस्तुत की है जो विधि सम्मत नहीं है । अपीलान्ट को अंतिम डिक्री की भी अपील करनी चाहिए थी ।

9. हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उक्त पक्षकारान के

विभाजन की डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/328

राधेश्याम आत्मज अमर लाल जाति कलाल निवासी शिव मंदिर के पास बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. गोरधन आत्मज अमर लाल जाति कलाल निवासी बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. घनश्याम आत्मज अमर लाल जाति कलाल निवासी द्वारा गोपाल इलेक्ट्रिकल्स रामधन चौराहा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 02.06.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 224/दावा/2015

गोरधन आत्मज अमर लाल जाति कलाल निवासी बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

श्याम आत्मज अमर लाल जाति कलाल निवासी द्वारा गोपाल इलेक्ट्रिकल्स रामधन चौराहा खेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

राधेश्याम आत्मज अमर लाल जाति कलाल निवासी शिव मंदिर के पास बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला, कोटा .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2016 .की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 06.10.2017 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बाबू लाल योगी एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री अरूण कुमार जैन उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 06.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2